रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2016/चैत्र 19, 1938
No. 256] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2016/CHAITRA 19, 1938

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, **8** अप्रैल, 2016

सीसायुक्त घरेलू और सजावटी पेंट के विनिर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात को विनियमित करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के उपनियम (2) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों, जिसके अंतर्गत संगठन भी हैं, की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

प्रस्तावित प्रारूप नियमों के संबंध में कोई आक्षेप करने या सुझाव देने में हितबद्ध कोई व्यक्ति या संगठन, केंद्रीय सरकार के विचार के लिए इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, लिखित में मेल या फैक्स द्वारा श्री डब्ल्यू. भरत सिंह, संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 ; ई-मेल पते w.bharat@nic.in ; फैक्स : 011-24695387 पर भेज सकेंगे ।

प्रारूप नियम

सा.का.नि. 409(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 13 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम घरेलू और सजावटी पेंट में सीसा की मात्रा संबंधी विनियमन नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **कतिपय दशाओं में मैटलिक सीसा के उपयोग का प्रतिषेध--**घरेलू और सजावटी पेंट, जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रति मिलियन 90 भाग से अधिक मैटलिक सीसा युक्त उत्पाद कहा गया है, के विनिर्माण, व्यापार, आयात और निर्यात का प्रतिषेध किया जाता है ।

3. **नोडल अभिकरण**—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो नोडल अभिकरण होगा और वह इन नियमों को कार्यान्वित करेगा ।

4. **साधारण शर्तें**—निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात्:-

(i) नियम 2 में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद में सीसा की मात्रा से संबंधित अनुबंध इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से ही विनिर्मित पेंटों को लागू होंगे ;

(ii) उत्पाद के प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता के पास भारत में उत्पाद के विनिर्माण या भारत में उत्पाद के आयात किए जाने के लिए नोडल अभिकरण के अनुमोदन का विधिमान्य प्रमाणपत्र होगा ;

(iii) प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता नियम 2 के उपबंधों की अनुरूपता के सत्यापन हेतु अपने उत्पादों का प्रयोग कराने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक नोडल अभिकरण द्वारा नमूने लेने के लिए एक समय-सूची प्रस्तुत करेगा ;

(iv) उत्पाद का प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता अपने उत्पाद पर यह कथन करते हुए एक लेबल लगाएगा कि सीसा की मात्रा 90 पीपीएम से अधिक नहीं है तथा ऐसा लेबल स्थायी और सहजदृश्य होगा ;

(v) लेबल पर विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम और पता अंतर्विष्ट होगा ।

5. **अनुपालन और परीक्षण प्रक्रिया**—नोडल अभिकरण उत्पादों के अपने अनुवर्तन और परीक्षण के लिए इन नियमों के अधीन अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करेगा ।

[फा. सं. 7-21/2010-एचएसएमडी]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2016

The following draft of certain rules to regulate the manufacture, trade, use, import and export of lead contents in household and decorative paints which the Central Government proposes to make in exercise of its powers under sub-section (1) of section 3 and clause (d) of sub-section (2) of section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (2) of rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is hereby published for information of all persons including organisations likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration by the Central Government after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person or organization desirous of making any suggestion or objection in respect of the proposed draft rules may forward the same in writing by mail or fax for consideration of the Central Government within the period so specified to Shri W. Bharat Singh, Joint Director, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110 003; email: w.bharat@nic.in; Fax: 011-24695387;

DRAFT RULES

G.S.R. 409(E).—In exercise of the powers conferred under sub- section (1) of section 3 and clause (d) of sub-section (2) of the section 6 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with rule 13 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Regulation on Lead contents in Household and Decorative Paints Rules, 2016.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Prohibition of use of metallic lead in certain cases**. – Any manufacture, trade, import and export of household and decorative paints hereinafter referred to as product containing metallic lead exceeding 90 parts per million is hereby prohibited.
3. **Nodal agency**. – The Bureau of Indian Standards shall be the nodal agency for the purposes of these rules, and shall implement the provisions of these rules.
4. **General Conditions**. – The following conditions shall be applicable, namely;-
 (i) the stipulations relating to contents of lead in the product as specified in rule 2 shall apply to paints manufactured on and from the date of coming into force of these rules;
 (ii) every manufacturer or importer of product shall have a valid certificate of approval of the nodal agency for the manufacture of the product in India or for being imported into India;
 (iii) every manufacturer or importer shall submit a schedule for drawing samples by the nodal agency by 31st March every year for subjecting its products for verification for conformity with the provisions of rule 2;
 (iv) the manufacturer or importer of the product shall label its product stating that the lead contents does not exceed 90 ppm and such labeling shall be durable and legible;
 (v) the label shall contain the name and address of the manufacturer or importer.
5. **Compliance and testing procedure**.- The nodal agency shall specify the procedure to be followed under these rules for its compliance and for testing of products.

[F. No. 7-21/2010 -HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.